ज़मीनों के लगान और ज़कात का मसअला

इस सम्बन्ध में सेमिनार 31 दिसम्बर 1993 ई0 से 3- जनवरी 1994 ई0 उमराबाद में आयोजित हुआ।

जिस तरह सामान्य पूंजी पर ज़कात लागू होती है, उसी तरह कृषि और कृषि योग्य भूमि की उपज (पैदावार) से भी ग़रीबों का हक़ निकाला जाता है, जिसे उश्र कहते हैं। कुरआन व हदीस और प्रारम्भिक काल की मिसालों को सामने रखकर निम्न तरह की ज़मीनों को उश्र वाली ज़मीनें माना गया है। इस सम्बन्ध में छटे फ़िक्ही सेमिनार में ग़ौर हुआ।

1- ऐसी ज़मीनें जिनके मालिकों ने उनपर इस्लामी हुकूमत के क़ब्ज़े से पहले अपनी खुशी से इस्लाम धर्म अपना लिया हो।

2- किसी क्षेत्र पर मुसलमानों को विजय प्राप्त हुई हो और वे ज़मीनें हुकूमत के ज़रिए मुसलमानों में बांट कर दी गयी हों।

3– जो ज़मीनें मुस्लिम हुकूमतों की तरफ़ से मुसलमानों को जागीर के तौर पर दी गई हों।

4- अरब द्वीप की वह सारी ज़मीनें जिनकी फ़िक्ह के इमामों ने हद बंदी कर दी है।

5- मुसलमानों की आवासीय ज़मीनें जिन्हें कृषि योग्य बना लिया गया हो और इन ज़मीनों के आस पास की ज़मीनें भी उश्र वाली ज़मीनें हों।

6- मुस्लिम देश में दूर दराज़ क्षेत्र की ऐसी ज़मीनें जिनको किसी मुसलमान ने कृषि योग्य बनाया हो और उनके आस पास की ज़मीनें भी उश्र वाली हों।

इस तरह की ज़मीनों के अलावा कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जिनपर उश्र के बजाए ख़िराज (लगान) लागू होता है। ऐसी ज़मीनें ये हैं:

1- ऐसी ज़मीनें जिनपर मुस्लिम हुकूमत ने विजय प्राप्त की हो लेकिन उन्हें उनके ग़ैर-मुस्लिम मालिकों के पास ही रहने दिया गया हो।

2- वे ज़मीनों जिनके ग़ैर-मुस्लिम वासियों ने इस्लामी हूकूमत से शान्ति समझौता कर लिया हो और ज़मीन उन्ही के पास रहने दी गयी हो।

3- मुसलमानों की ऐसी ज़मीनें जो ग़ैर-मुस्लिमों के क़ब्ज़ें में चली जाएँ और फिर उन्हें मुसलमान वापस हासिल कर लें।

4- जो ज़मीनें मुस्लिम हुकूमत की तरफ़ से जागीर के तौर पर ग़ैर मुस्लिमों को दी गयी हों।

ज़मीनों के इस तरह से वर्गीकरण के बावजूद उसूली तौर पर शरीअत ने मुसलमानों की ज़मीन में उश्र और ग़ैर-मुस्लिमों की ज़मीन में ख़िराज वाजिब किया है। उश्र में इबादत की भावना है, और यह ज़कात अदा करने की तरह है। इस लिए उश्र को स्थगित करना इबादत को स्थगित करना है। चुनांचे जहां उश्र के स्थगित होने का कोई

स्पष्ट निर्देश न हो वहां सावधानी बरतते हुए मुसलमानों के सिलसिले में उश्र के हुक्म को जारी रखा जाए।

उश्र के सिलसिले में इन बुनियादी व सर्वसम्मत सिद्वांतों और भारत की मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था को सामने रखकर भारत में ज़मीन की शरई हैसियत के सम्बन्ध में सेमिनार इस नतीजे पर पहुंचा है किः

1- यह विचार सही नहीं है कि भारत में मुसलमानों की कृषि वाली ज़मीनों पर न उश्र वाजिब है और न ख़िराज।

2- निम्न स्थितियों में भारत की ज़मीनें उश्र वाली हैं और इस मामले में आलिमों के बीच आम सहमति है।

(अ) किसी मुस्लिम हुकूमत की तरफ़ से मुसलमानों को दी गयी ज़मीनें जो अभी तक उनके अधिकार में हैं।

(ब) जिस क्षेत्र के लोग वहां मुस्लिम हुकूमत की स्थापना से पहले स्वेच्छा से मुसलमान हुए हों, और उनके पास अभी तक उनकी वे ज़मीनें हों।

(स) ऐसी ज़मीनें जो लम्बे समय से मुसलमानों के पास हों और उनके ख़िराजी होने का कोई ऐतिहासिक सबूत न हो।

(3) जो ज़मीनें ग़ैर-मुस्लिम हुकूमत या व्यक्ति से किसी मुसलमान को मिली हों, उनके बारे में सेमिनार में शरीक लोगों की अलग अलग राय हैं। कुछ लोगों के नज़दीक इस स्थिति में उनपर ख़िराज लागू होता है, जबकि कुछ लोग भारत में मुसलमानों के क़ब्ज़े वाली सभी ज़मीनों पर उश्र को वाजिब क़रार देते हैं। लेकिन यह बात सभी मानते हैं कि सावधानी या एहतियात के तौर पर सभी ज़मीनों पर उश्र देना चाहिए।

भारत सरकार से मुसलमानों को मिली कृषि भूमि पर कुछ लोग ख़िराज लागू होने के क़ायल हैं।

☆☆☆